मध्यप्रदेश शासन

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/ /2474/2013/10–3 भोपाल दिनांक /10/2013

प्रति,

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

खनिज साधन विभाग

विषय :–वन विभाग द्वारा वन क्षेत्र में किये जाने वाले निर्माण कार्यो में उपयोग किये जाने वाले गौण खनिजों पर रायल्टी के संबंध में।

संदर्भ :– आपकी टीप 168/एसएमआर/13, दिनांक 20.06.2013.

----000----

संदर्भित टीप द्वारा विषयांतर्गत लेख किया गया है कि कई विधानसभा प्रश्नों में माननीय विधायकों द्वारा यह जानकारी चाही गई है कि वन क्षेत्रों में वन विभाग द्वारा जो निर्माण कार्य किये जाते हैं उनमें उपयोग में लाये गये गौण खनिज की रॉयल्टी वन विभाग द्वारा जमा कराई जा रही है अथवा नहीं ?

2/ इस संबंध में निम्नानुसार लेख है :–

(i) भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 2(4) ख (iv) में दी गई वनोपज की परिभाषा अनुसार–पीट (Peat), सतही मिट्टी, (Surface soil), चट्टान एवं खनिज (Minerals), जिसमें चूने के पत्थर, Laterite (लालमुरूम), खनिज तेल और खनों एवं खदानों से प्राप्त मिनरल ऑयल एवं तेलीय पदार्थ जब वन (जंगल) में पाई जावें या वन से लाई जावें तब वे वनोपज होंगे। इस परिभाषा अनुसार वानिकी कार्यो में प्रयुक्त होने वाले सतही पत्थर (Surface Collection) आदि वनोपज की श्रेणी में आते हैं। अतः इस पर रॉयल्टी देय नहीं होगी।

(ii) वन विभाग द्वारा उपर्योग में लायी जा रही रेत, मुरम, पत्थर आदि का सतह से संग्रहण किया जाता है कि न कि उत्खनन।

(iii) गौण खनिज पर रॉयल्टी वास्तव में खनिज उत्पादन से प्राप्त होने वाली आय का बटवारा है। चूंकि वन विभाग द्वारा गौण खनिज का उपयोग विभागीय तौर पर किया जाता है एवं उससे कोई आय प्राप्त नहीं की जाती, अतः वन विभाग द्वारा उक्त पर रॉयल्टी लेने का कोई आधार नहीं बनता।

पृ.क्रं.- 22

पिछला	अगला

(iv) विभाग द्वारा वन क्षेत्र से सतही पत्थर आदि एकत्रित करके वन क्षेत्र में कई कार्य कराये जाते हैं जैसे भू एवं जल संरक्षण के कार्य आदि जिन के निर्माण से वन आवरण की वृद्धि में सहायता मिलती है एवं वन्यप्राणियों को पेय जल की उपलब्धता भी बढ़ती है। अतः वानिकी कार्य के लिये सतही पत्थर का एकत्रीकरण वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का भी उल्लंघन नहीं है। इसका उल्लेख भी Forest Conservation Act, 1980 (With Amendents Made in 1988) धारा 4(बी) में स्पष्ट किया गया है।

3/ उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में वन क्षेत्रों में वन विभाग द्वारा जो निर्माण कार्य किये जाते हैं उनमें उपयोग में लाये गये गौण खनिज की देय रॉयल्टी पर आपके स्तर से अग्रिम कार्यवाही करने का अनुरोध है।

4 गौण खनिज पर देय रॉयल्टी जमा करने का दायित्व चूंकि गौण खनिज प्रदाय कर्ता का है, अतः तत्संबंध में समस्त क्षेत्रीय अधिकारियों तथा जिला कलेक्टरों को पृथक से निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

(प्रशान्त कुमार)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ. क्रमांक/2130/2474/2013/10-3 भोपाल दिनांक 23/10/2013

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, भोपाल
3. मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड मध्यप्रदेश, भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/व.प्रा./मा.चि./6360 भोपाल, दिनांक 28-10-2013

प्रतिलिपि :-1. समस्त क्षेत्र संचालक, टाइगर रिजर्व, म.प्र.।
2. समस्त संचालक, राष्ट्रीय उद्यान, म.प्र.।
3. मुख्य वन संरक्षक, सिंह परियोजना, ग्वालियार म.प्र.।
4. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) वृत्त, म.प्र.।
5. वनमण्डलाधिकारी, कूना पालपुर/नौरादेही/मुरैना/ग्वालियर/टीकमगढ़/दमोह/देवास/धार/उज्जैन/डिण्डौरी/इंदौर/राजगढ़/औबेदुल्लागंज/रतलाम/मंदसौर वनमण्डल, म.प्र.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(डी.एन. पाटिल)